न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 96/2017
तारीख दायरः 06.12.2017

उनवान

1. रामनारायण पिता गीलाराम जाति मीणा निवासी बिन्दीयाकाभाटा तहसीलजहाजपुर।
2. शांतिदेवीपत्नि रामनारायण जाति मीणा निवासी बिन्दीयाकाभाटा तहसील जहाजपुर।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पिता हीरा जाति भील निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
2. बगदी पिता हीरा जाति भील निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
3. छोगा पिता धन्ना जाति भील निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
4. मोहन पिता धन्ना जाति भील निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
5. भोमा (गोमा) पिता धन्ना जाति भील निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
6. हगामी बेवा धन्ना जाति भील निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
7. कमला पत्नि रामसिंह जाति मीणा निवासी चान्दाढन्ड तहसील जहाजपुर।
8. मोरमा पिता केला जाति भील निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता प्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 09.09.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ग्राम मौजा धामणिया स्थित आराजी खसरा नम्बर 1869 रकबा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2162/1870 रकबा 13 बिस्वा स्थित मौजा धामणिया के अभिलिखित कब्जेधारी खातेदार है। विपक्षीगण क्रमांक 1 से 7 तक आराजी खसरा नम्बर 924 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 1870/2 रकबा 11 बीघा, के खातेदार है व विपक्षी नम्बर 8 आराजी खसरा नम्बर 928 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 939/1 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1870/1 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार है। विपक्षी नम्बर 9 खसरा नम्बर 1471 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा किस्म भूमि नाला व आराजी खसरा नम्बर 1871 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार है। यह है कि प्रार्थीगण अपने खाते व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 2162/1870 व 1869 पर पहुँचने के लिए 12 फीट चौडे रास्ते का उपयोग रांजवेल बैलगाडी व ट्रेक्टर मय ट्रोली के लाने ले जाने के लिए रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 1872 से होते हुए खसरा नम्बर 1471 किस्म भूमि नाला के उत्तरी किनारे की सीमा तक पहुँचते है। जहाँ से पश्चिम दिशा में घूमकर बिलानाम भूमि खसरा नम्बर 1871 की दक्षिणी मेर पर चलते हुए आगे विपक्षी नम्बर 1 से 7 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1870/2 में प्रवेश कर उसकी दक्षिणी मेर पर चलते हुए विपक्षी नम्बर 8 की खातेदारी भूमि की पूर्वी मेर पर प्रवेश करते हुए खसरा नम्बर 1870 की दक्षिणी मेर के भाग में होते हुए आगे चलकर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2162/1870 में पूर्वी दिशा से प्रवेश कर जाते है। उसके पश्चात अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2161/1870 से होते हुए खसरा नम्बर 1869 में पहुँचते है। उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण वर्षो से करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि पर पहुँचने के लिए कोई रास्ता नही है। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग नही कर पायेगें और उन्हे अपनी खाते की भूमि को पड़त रखना पड़ेगा जिससे उन्हे भारी हानी होगी व काश्त करने के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। प्रार्थीगण नियमानुसार विपक्षीगण खातेदारो को बनने वाले मुआवजा राशि भुगतान करने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान करते हुए भूमि को रास्ते हेतु सुरक्षित कराया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:28:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 12.09.2018 सम्मन तहसील से बाद तामिल प्राप्त हुये जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 11.12.2018 को विपक्षी संख्या 1 ,2, 3, 4, 5, 6, 8 व 9 के नोटिस पूर्व में तामिल हो चूके है। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। और अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार मारू द्वारासमय चाहा गया।

दिनांक 22.07.2019 को विपक्षी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता विनोद मारू को कई बार अवसर प्रदान किये जाने बावजूद अधिकार पेश नही किया। अतः विपक्षी संख्या 7 के विरूद्ध उक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 27.12.2019 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह है कि ग्राम धामणिया पटवार हल्का धामणिया में प्रार्थी की आराजी संख्या 2162/1870 पर पहुँचने के लिए विपक्षीगण कि आराजी संख्या 1871, 1870/1, 1870/2 के अतिरिक्त मौके पर व राजस्व रेकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नही हैं। हॉ, प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 09 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थी की मांग के अनुसार रास्ते हेतु उपयोग में ली जावेगी। यह है कि रास्ते हेतु 0.9 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 116989 प्रति बीघा से 52645 बनती है। दुगुनी दर 105290 है।

दिनांक 07.09.2020 को पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। हमने तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व दस्तावेजों पर मनन व अवलोकन किया। बाद अवलोकन स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि ग्राम धामणिया पटवार हल्का धामणिया के आराजी संख्या 2162/1870 पर पहुँचने के लिए विपक्षीगण कि आराजी संख्या 1871, 1870/1, 1870/2 में से 12 फीट रास्ता चाहा गया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में सहमति प्रदान की गयी है। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में डी.एल.सी. दर अधिक है। इसलिए पुनः वर्तमान डी.एल.सी. दर मंगवाई जाकर अग्रिम कार्यवाही अपेक्षित है। दिनांक 09.09.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा वर्तमान डी.एल.सी. दर मंगवाई गई। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए(क) के अन्तर्गत प्रदत्त भाक्तियो का प्रयोग करते हुए एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1)(II)(a) के अनुसरण में ग्राम धामणिया पटवार हल्का धामणिया में प्रार्थी की आराजी संख्या 2162/1870 पर पहुँचने के लिए विपक्षीगण कि आराजी संख्या 1871 में से 01 बिस्वा, 1870/1 में से 04 बिस्वा व 1870/2 में से 04 बिस्वा कुल 09 बिस्वा भुमि (13 फीट चौड़ाई में) रास्ता हेतु उक्त भूमि की डी.एल.सी. दर 116989 रूपये प्रति बीघा से 52645 रूपये बनती है। दुगुनी दर 105290 रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किए जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि खसरानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता अंकन करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.02.02 12:28:46 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 09.09.2020 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला-भीलवाड़ा

Utsah

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner